



बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना-800001

विज्ञापन संख्या-23/2024, 24/2024, 28/2024, 29/2024 एवं 30/2024 के तहत आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित तांती (ततवा) कोटि के अभ्यर्थियों के लिए


आवश्यक सूचना

Civil Appeal No. 18802/2017, Dr. Bhim Rao Ambedkar Vichar Manch Bihar Vrs. State of Bihar में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्र संख्या-11/आ.-न्याय-73/2024 12679/सा.प्र. दिनांक 12.08.2024 द्वारा प्रकाशित बिहार गजट में "तांती (ततवा)" जाति को अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-33 पर पुनर्स्थापित किया गया है।

अतः निम्न सारणी में अंकित विज्ञापन के अंतर्गत आयोजित लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल "तांती (ततवा)" जाति के सभी उम्मीदवार जिन्होंने पूर्व में अपने On line आवेदन में अनुसूचित जाति (02) कोटि के आधार पर "पान/स्वासी" जाति का दावा किया है को निदेश दिया जाता है कि वे अपने Username एवं Password से Login करते हुए दिनांक 09.09.2024 से दिनांक 30.09.2024 तक अपनी कोटि "अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (04)" के तहत "तांती (ततवा)" के रूप में सुधार करना तथा क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र अपलोड करना सुनिश्चित करें। कोटि सुधार एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने पर आपका आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

क्र. सं.	विज्ञापन संख्या	विभाग	पद का नाम	परीक्षा की तिथि
1.	23/2024	भवन निर्माण विभाग, बिहार	सहायक वास्तुविद्,	18.07.2024
2.	24/2024	कृषि विभाग, बिहार	प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी	12.08.2024 एवं 13.08.2024
3.	28/2024	श्रम संसाधन विभाग, बिहार	उप प्राचार्य एवं समकक्ष	02.08.2024
4.	29/2024	शिक्षा विभाग, बिहार (सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई)	माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक	16.08.2024
5.	30/2024	शिक्षा विभाग, बिहार (सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई)	प्राचार्य एवं उप प्राचार्य	16.08.2024

यदि दिनांक 30.09.2024 तक आरक्षण कोटि में सुधार /क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया जाता है तो वैसे उम्मीदवारों के अभ्यर्थित्व पर आयोग निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।


31.8.2024

अपर सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग पटना।